न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर॰ए॰एस॰)

मुकदमा नम्बर 177/2019

दायर दिनांक–08.04.2019

1. गिरधारीलाल पुत्र श्री भगवानाराम जाति अहीर निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामदेवाराम जाति अहीर निवासी गोठडा तहसील नवलगढ।
3. रामचन्द्र पुत्र श्री भगवानाराम जाति अहीर निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
4. हनुमानराम पुत्र श्री किशनाराम जाति अहीर निवासी गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
5. बीरबल पुत्र श्री किशनाराम जाति अहीर निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
6. नोरंगलाल पुत्र श्री किशनाराम जाति अहीर निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र सिंहपुत्र श्री धूड़सिंह राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. अलका कंवर पत्नी श्री सतीशसिंह जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. करण सिंह पुत्र श्री सतीश सिह जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
4. श्वेता पुत्री श्री सतीश सिह जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
5. विजेता पुत्री श्री सतीश सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
6. ऊम कुमारी पुत्री श्री धूड़ सिंह स्त्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
7. जबलबाई पुत्री श्री धूड़सिंह स्त्री श्री भवानी सिंह राठौड़ जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
8. रामसिंह पुत्र श्री धूड़सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
9. रघुनाथ सिंह पुत्र श्री धूड़सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
10. रमेश सिंह पुत्र श्री धूड़ सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
11. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ जिला झुन्झुनू जिला झुन्झुनू।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री आनन्दीलाल सैनी
वकील प्रतिवादी :– श्री सुमेर सिंह सैनी

दावा : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड

:: प्राथमिक निर्णय :: **दिनांक– 5–11–2019**

वादी ने एक वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम झाझड़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 474/0.0100, 475/4.1300 कुल किता 2 कुल रकबा 4.1400 हैक्टर स्थित है जो कि पुराने राजस्व रिकार्ड के अनुसार 16 बीघा 5 बिश्वा भूमि बनती है उपरोक्त भूमि के पुराने खसरा नम्बर 135/5 व 134 है,

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

उपरोक्त भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 को जरिये विरासत धूड़सिंह से प्राप्त हुयी थी। धूड़सिंह की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 133 रकबा 9 बीघा 18 बीश्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 3 बिश्वा, खसरा नम्बर 135 रकबा 71 बीघा 8 बिश्ववा कुल किता 3 कुल रकबा 81 बीघा 9 विश्वा थी जिसकों स्व॰ धूड़सिह काश्त करते थे धूड़सिंह की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त वर्णित भूमि को धूड़सिंह के 5 पुत्र राजेन्द्र सिह, रघुनाथसिह, सतीश कुमार सिंह, रमेश सिंह व रामसिंह काश्त करने लगे, जिन्होने आपस में मिलकर भूमि का विभाजन कर अपने–अपने हिस्से की खातेदारी अलग–अलग करवा ली, जिसके आधार पर जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 बनी है। उक्त जमाबंदी के अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 राजेन्द्र सिंह की भूमि खाता नम्बर 513 खसरा नम्बर 135/5 रकबा 16 बीघा 5 बिश्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 3 बिश्वा कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 16 बीघा 8 बिश्वा प्रतिवादी नम्बर 1 राजेन्द्र सिह के नाम दर्ज है जिसकें अनुसार आगे राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 राजेन्द्र सिंह के नाम चला आ रहा है। जो नये राजस्व रिकार्ड के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 474 रकबा 0.0100 हैक्टर, भूमि खसरा नम्बर 475 रकबा 4.1300 हैक्टर कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 4.1400 हैक्टर दर्ज है। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में से खसरा नम्बर 474 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नम्बर 475 रकबा 4.1300 हैक्टर कुल खसरा नम्बर 02 कुल रकबा 4.1400 हेक्टर (16 बीघा 5 बिश्वा) जो कि प्रतिवादी नम्बर 1 की खातेदारी में दर्ज थी उक्त भूमि को वादीगण ने दिनांक 15.01.2019 को प्रतिवादी नम्बर 1 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। लेकिन जब उपरोक्त भूमि का हस्तान्तरण हुआ उस दौरान समस्त पटवार हल्का का राजस्व रिकार्ड भू–अभिलेख कार्यालय जिला मुख्यालय गया हुआ था जिससे वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1 से भूमि का क्रय चालू जमाबन्दी के आधार पर करके मोके पर भूमि की नपती करवाकर कब्जा प्राप्त कर लिया, जिसके सम्बन्ध में वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 के मध्य आज भी कोई विवाद नही है। लेकिन पटवार हल्का झाझड का अभिलेख भू–अभिलेख कार्यालय झुन्झुनू से तुरन्त भूमि का नामान्तकरण सम्बन्धी कार्यवाही नही हो सकी, जब भू–अभिलेख कार्यालय झुन्झुनू से रिकार्ड पटवार हल्का में वापिस आया तो वादीगण ने भूमि का नामान्तकरण अपने नाम दर्ज करवाने हेतु चाराजोही की तो पता चला कि गत सैटलमेन्ट के दौरान प्रतिवादी नम्बर 01 की 16 बीघा 8 बिश्वा भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता धूड़सिंह पुत्र श्री जयसिंह की अन्य जमीन जिसका वाद पत्र की धारा 1 वर्णित भूमि से कोई सम्बन्ध नही है उक्त भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि में शामिल कर संयुक्त खातेदारी दर्ज करते हुये धूडसिंह के समस्त वारिसान का रिकार्ड में नाम दर्ज कर दिया जबकि जमाबन्दी सम्वत 2030 से 2033 के अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 के अकेले की भूमि 16 बीघा 8 बीश्वा तथा नये राजस्व रिकार्ड के अनुसार 4.1400 हैक्टर बनती है जिसका दिनांक 15.01.2019 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था लेकिन धूड़सिंह की अन्य भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि में शामिल हो जाने से प्रतिवादी नम्बर 1 राजेन्द्र सिह की भूमि सेटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा 4.1400

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

की बजाय 3.3800 हैक्टर दर्ज कर दिया गया, जिससे प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि भू–अभिलेख कार्यालय झुन्झुनू के रिकार्ड में परिवर्तन के आधार पर 3.3800 हेक्टर ही दर्ज रह गयी जिससे वादीगण द्वारा दिनांक 15.01.2019 को 4.1400 हैक्टर भूमि क्रय करने के बावजूद भी भूमि का नामान्तरकरण संख्या 2716 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा वादीगण के नाम भूमि 4.1400 हैक्टर की बजाय 3.3800 हेक्टर का ही नामान्तरकरण ग्राम पंचायत झाझड द्वारा स्वीकृत किया गया जो कि सैटलमेन्ट की गड़बड़ी से रिकार्ड गलत दर्ज हो गया जिसकी जानकारी वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 को कभी नही थी क्योंकि चालू जमाबन्दी में प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि 4.1400 हैक्टर (16 बीघा 5 बिश्वा) दर्ज थी जिसके आधार पर उप पंजीयक कार्यालय नवलगढ द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2019 को तस्दीक किया गया। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में वादीगण की भूमि खसरा नम्बर 474 रकबा 0.0100 है0 खसरा नम्बर 475 रकबा 4.1300 हैक्टर कुल 2 कुल रकबा 4.1400 हेक्टर (16 बीघा 5 बीश्वा) भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 की चालू जमाबन्दी सम्वत 2067 से 2070 दर्ज रिकार्ड है जिसे वादीगण ने दिनांक 15.01.2019 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय करके कब्जा प्राप्त किया था। उक्त भूमि धूड़सिंह की 81 बीघा 9 बिश्वा जिसका बंटवारा रामसिंह, रघुनाथ सिंह, रमेश सिंह, राजेन्द्र सिह, व सतीश सिंह के मध्य हुआ था तथा जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 में अलग अलग खाते कायम किये जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ। खाता संख्या 513 के खसरा नम्बर 135/5 रकबा 16 बीघा 5 बिश्वा व खसरा नम्बर 134 रकबा 3 बीश्वा, राजेन्द्र सिह, खाता संख्या 526 के खसरा नम्बर 135/3 रकबा 16 बीघा 5 बिश्वा रघुनाथ सिह, खाता संख्या 550 के खसरा नम्बर 133 रकबा 9 बीघा 13 बीश्वा, खसरा नम्बर 135/1 रकबा 6 बीधा 12 बीश्वा सतीश कुमार सिह, खाता संख्या 473 के खसरा नम्बर 135/4 रकबा 16 बीघा 5 बिश्वा रमेश सिंह व खाता संख्या 512 के खसरा नम्बर 135/2 रकबा 16 बीघा 5 बीश्वा रामसिंह के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार धूडसिंह के सभी पुत्रों के अलग–अलग खातेदारी दर्ज हुयी जिससे प्रतिवादी नम्बर 1 राजेन्द्र सिंह की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 135/5 व 134 अलग दर्ज हुये। वर्तमान खसरा नम्बर 474 व 475, खसरा नम्बर 135/5 व 134 से ही बने है जो 16 बीघा 8 विश्वा भूमि हैक्टर में 4.1400 हैक्टर ही बनती है जमाबंदी में उक्त भूमि में अन्य भूमि का इन्द्राज गलत दर्ज हो गया जो कि भूमि खाता सख्या 542 का भाग नही है खसरा नम्बर 474 व 475 अकेले प्रतिवादी नम्बर 1 की खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 10 का हक व हिस्सा नही है इसलिये उक्त राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 01 के हिस्से की भूमि को संशोधित किया जाकर भूमि की खातेदारी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.01.2019 के अनुसार वादीगण के नाम दर्ज जानी आवश्यक है जिससे आगे चलकर वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य भूमि की खातेदारी को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही रहे। जिसके लिये वादीगण दावा घोषणार्थ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 474 रकबा 0.0100 हैक्टर व खसरा नम्बर 475 रकबा 4.

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

1300 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.1400 हैक्टर (16 बीघा 5 बिश्वा) जिसके पुराने खसरा नम्बर 135/5 रकबा 16 बीघा 5 बिश्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 3 बिश्वा जो कि जमाबन्दी सम्वत् 2030 से 2033 में प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है उक्त भूमि को वादीगण ने दिनांक 15.01.2019 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय कर कब्जा प्राप्त कर जिसमें प्रतिवादी नम्बर 02 लगायत 10 को कोई हक व अधिकार नही है अथवा हिस्सा नही है लेकिन सेटलमेन्ट के द्वारा गलत रूप से प्रतिवादी नम्बर 1 व धूडसिंह की अन्य भूमि जिसकी जमाबन्दी सम्वत 2030 से 2033 में वर्णित रिकार्ड से सम्बन्ध नही है। उक्त भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि को शामिल कर धूडसिंह के अन्य वारिसान का नाम गलत दर्ज कर दिया गया, ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 10 को वादीगण की भूमि 4.1400 हैक्टर जो कि जमाबन्दी सम्वत 2030 से 2033 में राजेन्द्र सिह प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम जमाबन्दी सम्वत 2030 से 2033 अलग से दर्ज रिकार्ड के अनुसार वादीगण के नाम दर्ज की जानी आवश्यक इसलिये वादीगण द्वारा दुरूस्ती रिकार्ड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है। उक्त वाद के लिये वादीगण को वादाधिकार दिनांक 15.01.2019 को वादी ने प्रतिवादी नम्बर 1 से उसके हिस्से की 4.1400 हैक्टर भूमि कय कर कब्जा प्राप्त करने एव दिनांक 20.02.2019 को जब भू–अभिलेख विभाग जिला मुख्यालय झुन्झुनू का अभिलेख अनुसार वादीगण के नाम नामान्तकरण संख्या 2716 दिनांक 20.02.2019 को 4.1400 हैक्टर भूमि के बजाय 3.3800 हेक्टर भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत होने पर सेटलमेन्ट के दोरान राजस्व रिकार्ड में हुयी गलती की जानकारी होने पर माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र में उत्पन्न हुआ। वाद पत्र में वर्णित भूमि वाके ग्राम झाझड तहसील नवलगढ में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद सुनने का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी नम्बर 11 लैण्ड होल्डर होने के वजह से आवश्यक पक्षकार है इसलिये उन्हे पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। दावा घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड हेतु 2 रूपये के न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। वाद वादीगण अन्दर मियाद पेश है।

वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है कि वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 474 रकबा 0.0100 हैक्टर व खसरा नम्बर 475 रकबा 4.1300 हैक्टर कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 4.1400 हैक्टर (16 बीघा 5 विश्वा) जो कि जमाबंदी सम्वत 2030 से 2033 में पुराने खसरा नम्बर 135/5 रकबा 16 बीघा 5 बिश्वा व 134 रकबा 3 बिश्वा जो कि सेटलमेन्ट के दौरान गलत रूप से 3.3800 हैक्टर दर्ज की गयी जबकि जमाबंदी सम्वत् 2030 से 2033 के अनुसार नये राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी नम्बर 1 की भूमि 4.1400 हैक्टर ही बनती है, को दुरूस्त किया जाकर वदीगण को 3.3800 हैक्टर की बजाय 4.1400 हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। वादीगण ने रजिस्टर्ड विकय पत्र में 4.1400 हेक्टर भूमि का ही खर्चा वहन किया है। वर्णित खतोदारी की भूमि में प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 10 का नाम सेटलमेन्ट में गलत दर्ज कर दिया था, उसका नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

Scanned by CamScanner

रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे, इसके लिये तहसीलदार नवलगढ को रिकार्ड में संशोधन किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश पारित किये जावे। अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गयी हो बखिलाफ प्रतिवादीगण सादर फरमाई जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से वकील श्री सुमेर सिंह सैनी ने वकालतनामा पेश किया गया। वकील प्रतिवादी नम्बर 01 ने इकबालिया जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी नम्बर 02 लगायत 11 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली मे इकबालिया जवाब व एकतरफा कार्यवाही होने से तनकीयात की आवश्यकता नही होने से श0वा0 में पी डब्ल्यू 1, 2, 3 वादी श्री रामचन्द्र पुत्र श्री भगवानाराम, हनुमानराम पुत्र किशनाराम, गवाह रामनिवास यादव के चीफ के शपथ पत्र पेश किये गये। वकील वादी द्वारा वादी द्वारा ओर शहादत पेश नही करने पर शहादत बंद की गई।

प्रकरण में उपलब्ध रिकार्ड प्रदर्श–1 मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985, प्रदर्श–2 जमाबंदी ग्राम झाझड़ सम्वत् 2075–2078 प्रदर्श–3 जमाबंदी ग्राम झाझड सम्वत् 2067–2070, प्रदर्श–4 जमाबंदी ग्राम झाझड़ सम्वत् 2022–2024, प्रदर्श–5 जमाबंदी ग्राम झाझड़ सम्वत् 2030–2033, प्रदर्श–6ए विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2019, प्रदर्श–7 मिलान क्षैत्रफल तस्दीक वर्ष 1985, प्रदर्श–8 जमाबंदी ग्राम झाझड सम्वत् 2063–2066, प्रदर्श–9 जमाबंदी ग्राम झाझड़ आधार वर्ष 2043 प्रस्तुत हुए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद केतागण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जमाबंदी संवत् 2067–2070 नया खाता संख्या 542 में अंकित नोट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1874 निर्णय दिनांक 20.12.2011 से राजेन्द्र सिंह पुत्र धूड़ सिंह ने भूमि राजस्थान ग्रामीण बैंक झाझड़ के रहन रखी थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजेन्द्र सिंह पुत्र धूड़सिंह को इस रिकार्ड की जानकारी वर्ष 2011 से ही थी। विक्रय पत्र दिनांक 16.01.2019 में भी कुल रकबा 4.14 हैक्टेयर में हिस्सा 16 बीघा 5 बिश्वा अंकित है। अतः वादीगण व प्रतिवादी को इस रिकार्ड की जानकारी नही हो, स्वीकार्य नही है। फिर भी रिकार्ड दुरूस्ती की आवश्यकता थी तो मूल खातेदार (विक्रेता) राजेन्द्र सिंह द्वारा कार्यवाही की जाती। क्रेतागण को पुराने रिकार्ड के आधार पर वाद घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड लाने का कोई अधिकार नही है। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है।

:: आदेश ::

अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 5.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप अधिकारी
(मुसद्दीलाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास तोगडाकला
मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड

मुकदमा सं0:– 177/2019 (गिरधारी – बनाम – राजेन्द्र सिंह वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू मुरारी लाल शर्मा (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक **05.11.2019** निर्णय अनुसार वाद वादी खारिज किया जाता है। अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह. ....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्ष्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **05** माह **11** सन **2019** को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	स्टाम्प अर्जी दावा	2.00
वकालतनामा स्टाम्प	01.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	9.00		2.00

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2019.11.22 16:50:59 IST
Reason: SelfAttested
Location: